संघ राज्यक्षेत्र शासन और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2006

(2006 का अधिनियम संख्यांक 5)

[2 मार्च, 2006]

संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 का और संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:— संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संघ राज्यक्षेत्र शासन और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2006 है।

(2) धारा 2, 31 मार्च 2005 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

अध्याय 2

संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 का संशोधन

1963 का 20 **2.** संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 43ङ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 43च का अंत:स्थापन।

2002 का 33 ''43च. परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन आदेशों के प्रकाशन या उक्त धारा की उपधारा (2) अथवा उपधारा (4) में किसी बात के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा 2001 की जनगणना के आधार पर संघ राज्यक्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन में कोई पुन: समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे और ऐसे पुन: समायोजन के प्रभावी होने तक, विधान सभा के लिए कोई निर्वाचन ऐसे पुन: समायोजन से पूर्व विद्यमान प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के आधार पर कराया जा सकेगा।''। 2001 की जनगणना के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के पुन: समायोजन के बारे में विशेष उपबंध।

अध्याय 3

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 का संशोधन

1992 का 1 **3.** दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 3 की उपधारा (3) के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 3 का संशोधन।

2002 का 33 ''परंतु यह और कि परिसीमन अधिनियम, 2002 के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा 2001 की जनगणना के आधार पर राजधानी के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन में कोई पुन:समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे और ऐसे पुन:समायोजन के प्रभावी होने तक, विधान सभा के लिए कोई निर्वाचन ऐसे पुन: समायोजन से पूर्व विद्यमान प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के आधार पर कराया जा सकेगा।''।